

एम.ए.सी.पी. संख्या १६१/२०१७,

१. श्रीमती अंजनीबाई पत्नी स्व. जगभान आयु लगभग ४० वर्ष

२. सोनू नरवरिया पुत्र स्व. जगभान आयु लगभग २३ वर्ष

३. कु. कृष्णा पुत्री स्व. जगभान आयु लगभग २१ वर्ष

४. सुनील नरवरिया पुत्र स्व. जगभान आयु लगभग १९ वर्ष

५. कु. सपना नरवरिया पुत्री स्व. जगभान आयु लगभग १८ वर्ष

समस्त निवासीगण ग्राम नावनी पोस्ट नावनी थाना चंदेरी जिला अशोक नगर, म. प्र. हाल निवासी आरा मशीन थाना बवीना जिला झाँसी

-----याचीगण

प्रति

१. मुकेश कुमार पुत्र श्री राम प्रसाद अहिरवार निवासी ३०० सुरेश नगर हनुमान पार्क ठाडीपुर ग्वालियर म. प्र. हाल निवासी भव्या गार्डन के पास डेली थाना रक्सवा जिला झाँसी उ. प्र.

.....मालिक ट्रक नं. एम. पी. ०७ एच बी ३८०२

२. सतेन्द्र कुमार पुत्र श्री कोमल सिंह निवासी ग्राम बरल थाना चिरगांव जिला झाँसी उ. प्र.

.....चालक ट्रक नं. एम. पी. ०७ एच बी ३८०२

३. नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड जरिए शाखा प्रबन्धक इलाइट टाकीज के पीछे झाँसी जिला झाँसी

.....बीमाकर्ता ट्रक नं. एम. पी. ०७ एच बी ३८०२

४. सुरेन्द्र सिंह बुन्देला तनय श्री मोहन सिंह निवासी ग्राम बांकलपुर पोस्ट नया खेड़ा तहसील चंदेरी जिला गुना, म. प्र.

.....मालिक मोटर साईकि नं. एम.पी. ०८ एम पी ६३०४

-----विपक्षीगण

याचीगण के अधिवक्ता- श्री बलवीर पाली

विपक्षी सं. ३ के अधिवक्ता- श्री एस.सी. गुप्ता

१२.१२.२०२०

पत्रावली आज **राष्ट्रीय लोक अदालत** में पेश हुयी। यह दावा जगभान को मोटर वाहन दुर्घटना मे मृत्यु हो जाने पर क्षतिपूर्ति ₹ २२,५०,००० हेतु प्रस्तुत हुआ है। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को विगत नियत तिथि पर ५७बी सुलहनामा पर सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया। याचीगण व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के मध्य हुआ सुलहनामा ५७बी याचीगण व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्तागण की उपस्थिति में तस्दीक किया गया है। ५७बी सुलहनामा के अनुसार विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ ६,००,००० याची को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी। उभय पक्ष द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष सुलहनामा ५७बी की पुष्टि की गयी है तथा याची सुलहनामा ५७बी में दर्शित कुल ₹ ६,००,००० प्रतिकर के रूप में लेने हेतु सहमत है, जिसे विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी याचीगण को देने हेतु तैयार हैं। अतः याचिका सुलहनामा ५७बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

याचीगण की याचिका सुलहनामा ५७बी के अनुसार निर्णीत की जाती है। सुलहनामा ५७बी इस आदेश का भाग रहेगा। विपक्षी सं. ३ नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वह याचीगण को इस निर्णय/आदेश के दिनांक से ३० दिन के अन्दर प्रतिकर की धनराशि ₹ ६,००,००० (**छैः लाख**) भुगतान करने हेतु मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के Punjab National Bank A/c 3671000101192489 IFSC- PUNB0367100 में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से कर दे। धनराशि अन्तरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा ट्रान्जैक्शन नं. मय याचिका संख्या व नाम बनाम की सूचना न्यायाधिकरण को ईमेल po-mact.jh@up.gov.in पर भेजी जाएगी। उक्त प्रतिकर की धनराशि में से याचीगण सं. १ लगायत ५ बराबर-बराबर भाग प्राप्त करेंगे तथा प्रत्येक को प्राप्त होने वाली प्रतिकर की धनराशि में से ७५ प्रतिशत भाग उनके नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में ३-३ वर्ष के लिए एन्युटी बनाई जायेगी तथा प्रत्येक २५-२५ प्रतिशत प्रतिशत भाग वे आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के जरिए अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त कर सकेंगे। तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)

पीठासीन अधिकारी

मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी।